

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
राष्ट्रीय लोक अदालत

प्रकरण संख्या :—निगरानी/एलआर/1191/2006/चुरु

मनोज कुमार पुत्र श्री जयप्रकाश

.....प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार व अन्य

.....अप्रार्थीगण

पीठ

श्री अविनाश चौधरी (सदस्य)

श्री राजेन्द्र प्रसाद (सदस्य)

दिनांक: 12-11-2022

उपस्थित :-

श्री दुनीचन्द, अभिभाषक प्रार्थी

श्री अशोक मेघवंशी, उपराजकीय अभिभाषक

पत्रावली आज दिनांक 12-11-2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता तथा उप राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि संबंधित प्रकरण को उनके पक्षकार आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः प्रकरण को नोट-प्रेस में निस्तारित किया जावे। प्रकरण के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये प्रकरण नोटप्रेस के आधार पर राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा आगे नहीं चलाये जाने के कारण खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख अविलम्ब लौटाया जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(राजेन्द्र प्रसाद)

सदस्य

राष्ट्रीय लोक अदालत
राजस्व मण्डल, अजमेर

(अविनाश चौधरी)

सदस्य

राष्ट्रीय लोक अदालत
राजस्व मण्डल, अजमेर